

**ऑनलाइन
पंजीकरण
की तिथि**

**08.06.2019 से
23.06.2019**

30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

**की लखनऊ, मेरठ, आगरा, बरेली, कानपुर जोन के अन्तर्गत
विभिन्न अनावासीय सम्पत्तियों की**

ई-नीलामी

ई-ऑक्शन पोर्टल-<http://upavp.mjunction.in>

**ई-ऑक्शन दिनांक
29.06.2019**

जोन का नाम	योजना का नाम	समयावधि
लखनऊ	वृन्दावन योजना, अवध विहार योजना एवं आम्रपाली योजना [व्यावसायिक भूखण्ड, प्रीमियम व्यावसायिक भूखण्ड, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, संस्थागत भूखण्ड तथा हेल्थ सेन्टर / नर्सिंग होम भूखण्ड]	लखनऊ जोन हेतु प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
मेरठ	मंगल पाण्डे नगर योजना - 1(मेरठ), ट्रांसपोर्ट नगर योजना-2 (मेरठ), शास्त्री नगर योजना-3 तथा 7 (मेरठ), जागृति विहार योजना-6 तथा 11 (विस्तार) (मेरठ), शाकुम्भरी विहार (मवीकलां योजना-8) (सहारनपुर), वसुन्धरा योजना (गाजियाबाद), सिद्धार्थ विहार योजना (गाजियाबाद), [कन्वेन्शन सेंटर भूखण्ड, व्यावसायिक भूखण्ड, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, संस्थागत भूखण्ड, होटल भूखण्ड, प्रीमियम हाउसिंग भूखण्ड, कन्वीनियन्स शॉप भूखण्ड, पेट्रोल / डीजल भूखण्ड]	मेरठ जोन हेतु प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
आगरा	सिकन्दरा योजना (आगरा), शिकोहाबाद योजना (शिकोहाबाद), फिरोजाबाद योजना (फिरोजाबाद), हाथरस योजना (हाथरस), कासगंज योजना (कासगंज), योजना संख्या-9, अलीगढ़ [व्यावसायिक भूखण्ड, फ़ैसिलिटी भूखण्ड, कन्वीनियन्स शॉप भूखण्ड, हेल्थ सेन्टर भूखण्ड, मल्टीप्लेक्स भूखण्ड, संस्थागत भूखण्ड, कम्यूनिटी सेंटर भूखण्ड]	आगरा, बरेली एवं कानपुर जोन हेतु प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
बरेली	शाहजहांपुर योजना (शाहजहांपुर), सम्मल गेट योजना (चन्दौसी) [व्यावसायिक भूखण्ड, कम्यूनिटी सेंटर भूखण्ड]	
कानपुर	केशवपुरम योजना-1 (कानपुर), अम्बेडकरपुरम योजना-3 (कानपुर) हंसपुरम योजना-2 (कानपुर), लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद), सूत मिल योजना (इटावा) [ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, व्यावसायिक भूखण्ड, प्रीमियम भूखण्ड, नर्सिंग होम भूखण्ड, हेल्थ सेन्टर भूखण्ड, सामुदायिक भूखण्ड, संस्थागत भूखण्ड]	

**वैध/पात्र आवेदक आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत
घनराशि दिनांक 24.06.2019 से 28.06.2019 तक जमा कर सकते हैं।**

नोट:- 1. किसी भी ई-नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा ई-नीलामी की नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में निहित है। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (M0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। 2. ई-नीलामी के विस्तृत नियम/शर्तें, सम्बन्धित जोनल आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय एवं परिषद की वेबसाइट <http://upavp.in> पर **public notice** के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 3. निर्माण सम्बन्धी नियम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुरूप होंगे। 4. सील्ड बिड या ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवास आयुक्त

ई-नीलामी के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें

तकनीकी जानकारी हेतु : 033-66031798, 033-44091798 (सोमवार से शुक्रवार प्रात 10.00 सांय 5.30)

टोल फ्री नं० : 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार प्रात 10.00 सांय 6.00)

ई-मेल: upavp.helpdesk@mjunction.in

IS 15700 : 2005



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गॉंधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in> E-mail: info@upavp.com

